

[2023] 3 S.C.R. 112

गुजरात राज्य और अन्य

बनाम

मल्टीप्लेक्स संघ, गुजरात, अपने अध्यक्ष के द्वारा

(2015 की सिविल अपील संख्या 13977)

02 फरवरी, 2023

[एस रवींद्र भट और दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ति]

कर/कराधान - पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए योजना, बिक्री कर, टर्नओवर टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, लग्जरी टैक्स और मनोरंजन कर से 100% पूंजी निवेश तक छूट के संबंध में संस्थाओं (मल्टी-सिनेमा थिएटर कॉम्प्लेक्स या मल्टीप्लेक्स सहित) को 5-10 साल के लिए कर अवकाश दिया गया। - योजना में उल्लिखित छूट सीमा की गणना करने का कोई समझदार तरीका या तंत्र नहीं - करदाता ने दलील दी कि यह काल्पनिक कवायद पर आधारित है, राजस्व ने तर्क दिया कि कर के तत्व को एकत्र की गई वास्तविक राशि में जोड़ा जाना चाहिए। - माना: उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर सही विचार किया था और मात्रात्मक सीमा की काल्पनिक गणना का एक उचित व्यावहारिक तरीका विकसित किया था - चूंकि करदाता कर के रूप में कोई राशि एकत्र नहीं कर रहा था, इसलिए आगे की राशि जोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है - संबंधित अवधि के लिए वास्तविक टिकट संग्रह के आधार पर अनुमानित निर्धारण का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाएगा कि छूट के लिए योजना में निर्दिष्ट सीमा सीमा हासिल की गई थी या नहीं।

कर/कराधान - कर छूट अधिसूचना स्पष्ट रूप से छूट प्रदान करने के लिए, और इस तरह की राहत की शर्तें (समय और मौद्रिक सीमाओं के संदर्भ में), लेकिन कर छूट की सीमाओं को समझने के तरीके में स्पष्ट अंतर है, जिसे यदि उचित रूप से नहीं समझा जाता है, तो यह अधिसूचना की मंशा को विफल कर देगा।

सिद्धांत / सिद्धांत - 'पर्याप्त अनुपालन' का सिद्धांत - चर्चा की गई।

संविधियों की व्याख्या - प्रक्रिया के नियम न्याय को सुविधाजनक बनाने के लिए हैं न कि उसकी जगह लेने के लिए।

अपील खारिज करते हुए कोर्ट ने

अवधारित किया: 1.1 न तो पैकेज और न ही योजना (जैसा कि छूट अधिसूचना में सन्निहित है) ने यह गणना करने के लिए तंत्र का संकेत दिया कि छूट सीमा (100% पूंजी निवेश) कैसे गणना योग्य थी। संबंधित समय पर कर की दर प्रवेश या टिकट मूल्य का 50% थी। करदाता ने दलील दी कि कुल छूट की गणना एक काल्पनिक प्रक्रिया के आधार पर की जानी है, जबकि राज्य का तर्क यह था कि चूंकि करदाता को कर छूट का लाभ है, इसलिए कर का तत्व एकत्र की गई वास्तविक राशि में जोड़ा जाना चाहिए। [पैरा 6-7 और 9]

1.2 उच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि छूट का लाभ उठाने वाले मल्टीप्लेक्सों ने वास्तव में कर के रूप में राशि एकत्र नहीं की थी, इसलिए किसी और राशि को जोड़ने का कोई सवाल नहीं था, बल्कि यह पता लगाने के लिए कि छूट के लिए योजना में अधिकतम सीमा (100% पूंजीगत निवेश) हासिल की गई थी, संबंधित अवधि के लिए वास्तविक टिकट संग्रह के आधार पर काल्पनिक निर्धारण द्वारा किया जाना था। [पैरा 10]

1.3 योजना की शर्तों और छूट अधिसूचना से यह स्पष्ट है कि छूट को सीमाओं के लिए तय किया गया है यानी (1) एक समय सीमा और (2) परिमाणीकरण। उत्तरार्द्ध पहले के अधीन हो सकता है यानी, यदि छूट सीमा तक पहुंच गई राशि प्राप्त की गई थी, तो विचाराधीन अवधि (5-10 वर्ष) की समाप्ति से पहले, आगे छूट का दावा नहीं किया जा सकता था। हालांकि, राज्य ने यह निर्धारित करने के लिए कोई तंत्र प्रदान करने से इनकार कर दिया कि मात्रात्मक सीमा की अनुमानित गणना के उद्देश्य से छूट सीमा कैसे तय की जा सकती है। इसका मतलब था कि गणना की एक उचित व्यावहारिक विधि लागू की जानी थी। [पैरा 14]

1.4 राज्य का तर्क इस धारणा पर आधारित है कि मल्टीप्लेक्स मालिकों द्वारा छूट अवधि के दौरान एकत्र की गई राशि को भी कर के तत्व में शामिल किया गया है। यह धारणा त्रुटिपूर्ण है क्योंकि ऐसा कोई संग्रह नहीं हो सकता था जो कर के बराबर हो। इसके अलावा, मल्टीप्लेक्स/थिएटर-मालिकों को अधिनियमन के संदर्भ में मासिक रिटर्न दाखिल करने के लिए बाध्य किया गया था। इससे दुर्व्यवहार के किसी भी आरोप का ध्यान रखा जा सकता था। राज्य का अतिरिक्त तर्क यह था कि चूंकि छूट की अवधि के दौरान मल्टीप्लेक्स द्वारा

कर के तत्व को संग्रह में अनुमानित रूप से शामिल किया गया था, इसलिए कर संग्रह योग्य के बराबर एक और राशि को जोड़ा जाना था। उच्च न्यायालय ने सही कहा कि यह तर्क अतार्किक और अनुचित था। [पैरा 15-16]

1.5 यह स्वीकार किया गया है कि कर छूट की सीमाओं को समझने के तरीके में अंतर है। संविधान पीठ के दो फैसलों से अब कानून तय हो गया है कि छूट संबंधी अधिसूचनाओं की कड़ाई से व्याख्या की जानी चाहिए और अस्पष्टता की स्थिति में करदाताओं के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। [पैरा 16]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, नई दिल्ली बनाम हरि चंद श्री गोपाल
[2010] 13 एससीआर 820: (2011) 1 एससीसी 236; सीमा शुल्क
आयुक्त (आयात), मुंबई बनाम दिलीप कुमार एंड कंपनी एंड अन्य।
[2018] 7 एससीआर 1191: (2018) 9 एससीसी 1 - इसके बाद।

1.6 वर्तमान मामले में, स्थिति अजीब है, क्योंकि छूट प्रदान करना, और ऐसी राहत की शर्तें (समय और मौद्रिक सीमाओं के संदर्भ में) स्पष्ट हैं। हालांकि, मौद्रिक सीमा की गणना के लिए प्रक्रिया बिल्कुल निर्धारित नहीं है। इसलिए, वर्तमान मामला अस्पष्टता का नहीं है, बल्कि इसके बजाय, एक स्पष्ट अंतर है, जिसे यदि उचित रूप से नहीं माना जाता है, तो अधिसूचना के इरादे को विफल कर देगा। प्रक्रियाओं के नियमों के संदर्भ में अक्सर यह माना गया है कि वे न्याय को सुविधाजनक बनाने के लिए हैं, न कि न्याय को प्रतिस्थापित करने के लिए और प्रक्रियात्मक कानून की शिकायत का सामना करते समय अदालत को पर्याप्त न्याय की ओर झुकना चाहिए। [पैरा 17-20]

संग्राम सिंह बनाम चुनाव न्यायाधिकरण, कोटा और अनर। [1955] 2
एससीआर 1; घनश्याम दास वी। भारत का डोमिनियन, [1984] 3
एससीआर 229: (1984) 3 एससीसी 64; सुगंधी बनाम पी राजकुमार
(2020) 10 एससीसी 706 - पर भरोसा किया।

1.7 कर छूट के लाभ की गणना करने का एक उचित तरीका, इस बात पर विचार करने के उद्देश्य से कि पूंजीगत व्यय के बराबर 100% सीमा तक पहुंच गई थी या नहीं, संबंधित अवधि के दौरान देय कर राशि यों को अनुमानित रूप से निर्धारित करना है, जब मल्टीप्लेक्सों को कर छूट प्राप्त थी। यह संभव है, उस समय के दौरान उनके द्वारा दाखिल किए गए रिटर्न को ध्यान में रखते हुए जब उन्होंने छूट मांगी थी और उन्हें छूट दी

गई थी। बाहरी सीमा (100% निवेश) एक प्रत्यक्ष राशि है, जिसे इकाइयां अपने बही-खातों में उचित प्रमाण के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम होंगी, और उनके द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन। स्पष्ट रूप से इस सिद्धांत को स्वीकार करते हुए और इस मामले के तथ्यों को लागू करते हुए, उच्च न्यायालय ने एक उचित विधि का पालन किया जिसे गलत नहीं ठहराया जा सकता है। [पैरा 22]

देवी मल्टीप्लेक्स और उत्तर बनाम गुजरात राज्य और अन्य।

(2015) 9 एससीसी 132: [2015] 6 एससीआर 1 - संदर्भित।

Case Law Reference

[2015] 6 एससीआर 1 पैरा 2 को संदर्भित करता है।

[2010] 13 एससीआर 820 ने पैरा 16 का पालन किया।

[2018] 7 एससीआर 1191 ने पैरा 17 का पालन किया।

[1955] 2 एससीआर 1 पैरा 18 पर निर्भर था।

[1984] 3 एससीआर 229 पैरा 19 पर निर्भर था।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2015 की सिविल अपील संख्या 13977

गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 26-06-2009 के निर्णय और आदेश से अहमदाबाद में एससीए संख्या 5391 में 2004 के आदेश से।

एस. के. बागड़िया, वरिष्ठ अधिवक्ता, कुमार अजीत सिंह, सुश्री स्वाति घिल्डियाल, सुश्री देवयानी भट्ट, अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता।

प्रतिवादी की ओर से मनिंदर सिंह, सीनियर एडवोकेट, मेसर्स खेतान एंड कंपनी, श्रीयास ललित, गुंजन शर्मा, कुमार मिहिर, अर्णव कुमार, एडवोकेट।

न्यायालय का निर्णय एस रवींद्र भट और दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ति द्वारा सुनाया गया था

1. गुजरात राज्य की यह अपील, आक्षेपित निर्णय के एक भाग के संबंध में शिकायत करती है।¹

2. इस न्यायालय के पास देवी मल्टीप्लेक्स और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्यⁱⁱ में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में वर्तमान रिट याचिकाकर्ताओं/प्रतिवादियों की पर्याप्त शिकायत से निपटने का अवसर था। वर्तमान कार्यवाही में जो मुद्दा इस न्यायालय से संबंधित है, वह गणना की विधि या योजना के तहत छूट सीमा निर्धारित करने की विधि के संबंध में है, जिसे राज्य द्वारा मल्टीप्लेक्सों के लिए विस्तारित किया गया है, जिन्होंने पूंजीगत बुनियादी ढांचा स्थापित किया था। ये प्रोत्साहन एक निर्दिष्ट अवधि के लिए कर छूट के रूप में थे। पिछले मौके पर इस अदालत ने योजना के विस्तार से इनकार करने के संबंध में मल्टीप्लेक्स मालिकों की शिकायत पर फैसला सुनाया था। इस अदालत ने माना कि विस्तार से इनकार करना (दो साल, जो मल्टीप्लेक्स मालिकों द्वारा मांगा गया था) परिस्थितियों में अनुचित था और वचन विबंधन के सिद्धांत को लागू किया था।

3. सुविधा के लिए, अदालत देवी मल्टीप्लेक्स (सुप्रा) में फैसले के पैरा 2 को निकालने से बेहतर जान सकती है, जो 20.12.1995 को राज्य द्वारा जारी छूट अधिसूचना में निहित प्रोत्साहन योजना को व्यापक रूप से रेखांकित करता है। फैसले का प्रासंगिक हिस्सा नीचे दिया गया है।:

“2. चूंकि 2009 की सिविल अपील संख्या 6478 को मुख्य मामले के रूप में लिया गया था, इसलिए इससे संबंधित तथ्यों को इसके बाद विस्तार से निपटाया जाता है। 20-12-1995 को गुजरात सरकार ने पर्यटन परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन की नई पैकेज योजना, 1995-2000 (इसके बाद से “योजना” के रूप में संदर्भित) नामक एक नीति की घोषणा की, जिसका उद्देश्य उद्योगों द्वारा प्राप्त सभी राजकोषीय और गैर-राजकोषीय प्रोत्साहन, राहत और रियायतें “पर्यटन” को उपलब्ध कराना था, जिसे उद्योग का दर्जा दिया गया था, ताकि पर्यटन क्षमता वाले क्षेत्रों में अधिक निवेश को आकर्षित करके और रोजगार पैदा करके, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके। खंड 2 के अंतर्गत यह योजना 1-8-1995 को लागू हुई और इसे 31-7-2000 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए लागू रहना था। खंड 3 के तहत, पात्र होने के लिए, एक नई पर्यटन इकाई को 1-8-1995 के बाद पंजीकृत किया जाना चाहिए। खंड 4.7 उन प्रभावी कदमों से संबंधित है जो ऐसी इकाई द्वारा उठाए जाने की अपेक्षा की गई थी। खंड 5 के तहत, प्रारंभिक प्रभावी कदम उठाने के बाद एक पर्यटन इकाई पंजीकरण के लिए पर्यटन निदेशक को आवेदन कर सकती है। सभी परियोजनाओं को ‘परिशिष्ट बी’ में उल्लिखित विनिर्देशों और आवश्यकताओं के अनुरूप होना था, जो परिशिष्ट

पर्यटन इकाइयों की विभिन्न श्रेणियों से संबंधित था और इसके आइटम 22, मल्टी-सिनेमा थिएटर कॉम्प्लेक्स या मल्टीप्लेक्स सहित “एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स” से संबंधित थे। खंड 7 में पर्यटन इकाइयों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात् प्रतिष्ठित पर्यटन इकाइयां, बड़े पैमाने पर पर्यटन इकाइयां, लघु पर्यटन इकाइयां और पर्यटन की छोटी इकाइयाँ क्रमशः 10 करोड़ रुपये, 90 लाख, 10 लाख रुपये और 10 लाख से कम के न्यूनतम निश्चित पूंजी निवेश के साथ। खंड 8 प्रोत्साहनों से संबंधित है और कहा गया है कि (i) बिक्री कर (ii) टर्नओवर कर (iii) बिजली शुल्क (iv) लक्जरी कर, और (v) पूंजीगत निवेश के 100% तक मनोरंजन कर से छूट के संबंध में 5-10 साल का कर अवकाश उपलब्ध होगा। खंड 8.1 में यह कहा गया था कि प्रोत्साहन की मात्रा पात्र पूंजी निवेश के 100% से अधिक नहीं होगी और इसमें प्रतिष्ठित पर्यटन इकाइयों, बड़े पैमाने पर पर्यटन इकाइयों, लघु पर्यटन इकाइयों और पर्यटन की छोटी इकाइयाँ के संबंध में पात्रता की अवधि क्रमशः 10 वर्ष, 8 वर्ष, 6 वर्ष और 5 वर्ष बताई गई है। खंड 9 मंजूरी प्राधिकरण की संरचना से संबंधित था जिसके तहत राज्य स्तरीय समिति प्रतिष्ठित और बड़ी इकाइयों के संबंध में पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम थी, जबकि जिला स्तरीय समिति को सभी छोटे और छोटे पर्यटन इकाइयों के लिए पात्रता प्रमाण पत्र जारी करना था। प्रोत्साहन के लिए पर्यटन इकाइयों के पंजीकरण की प्रक्रिया खंड 10 में विस्तृत थी।

4. इस मामले में एक मुद्दा क्या है, नई पैकेज योजना का एक और हिस्सा है यानी पैरा 8 और 8.1 का अर्थ निकालने का उचित तरीका, जो सुविधा के लिए नीचे प्रस्तुत किया गया है:

“प्रेरक”

नई इकाइयों और मौजूदा इकाइयों के विस्तार (पूर्व में निर्धारित शर्त के अनुसार) के लिए निम्नलिखित करों के संबंध में 5-10 वर्षों का कर अवकाश और पूंजी निवेश के 100% तक उपलब्ध होगा। कर अवकाश परिशिष्ट बी में सूची के अनुरूप और पात्र क्षेत्रों के भीतर आने वाली इकाइयों के लिए उपलब्ध होगा।

करों की सूची

1. बिक्री कर से छूट।
2. टर्नओवर टैक्स से छूट।

3. बिजली शुल्क से छूट।

4. लक्जरी टैक्स से छूट।

5. मनोरंजन कर से छूट।

बिक्री कर से छूट निम्नलिखित शर्तों के साथ उपलब्ध है:

(क) कच्चे माल, प्रसंस्करण सामग्री, उपभोग्य भंडार, पैकिंग सामग्री पर करों के लिए छूट उपलब्ध नहीं है।

(ख) पात्र इकाई द्वारा बिक्री के प्रथम चरण में बेची जाने वाली वस्तुओं को ही बिक्री कर में छूट मिलेगी।

(ग) पर्यटन परियोजना की स्थापना के लिए खरीदी जाने वाली किसी भी वस्तु जैसे भवन निर्माण सामग्री, उपस्कर या किसी अन्य सामान की खरीद पर कोई छूट उपलब्ध नहीं है।

8.1 पात्रता की अवधि

प्रोत्साहन की मात्रा पात्र पूंजी निवेश के 100% से अधिक नहीं होगी। यदि प्रोत्साहन की सीमा पात्र अवधि से पहले समाप्त हो जाती है, तो इकाई किसी और लाभ का लाभ नहीं उठा सकती है। पात्र इकाइयों को पर्यटन इकाई की प्रत्येक श्रेणी के लिए उल्लिखित अवधि के लिए कर अवकाश उपलब्ध कराया जाएगा, जैसा कि नीचे सारणीबद्ध है:

क्रम संख्या	पर्यटन इकाइयों की श्रेणी	कर अवकाश के वर्षों की संख्या
1.	प्रतिष्ठित पर्यटन इकाइयाँ	10 वर्षों
2.	बड़े पैमाने पर पर्यटन इकाइयाँ	8 वर्षों
3.	लघु बिक्री पर्यटन इकाइयाँ	6 वर्षों
4.	पर्यटन की छोटी इकाइयाँ	5 वर्षों
5.	पर्यटन इकाइयों का विस्तार	5 वर्षों

5. इस योजना को दिनांक 14.02.1997 की छूट अधिसूचना में सन्निहित किया गया था, जिसका प्रासंगिक भाग निम्नानुसार है:

“इसलिए, गुजरात मनोरंजन कर अधिनियम, 1977 (1977 का गुजरात-16) की धारा-29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (इसके बाद इसे उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) और सरकारी अधिसूचना, सूचना, प्रसारण और पर्यटन विभाग सं 133 की अनदेखी करते हुए, (जीएचटी.91.45) एमएनआर-1391-285-ई, दिनांक 24 दिसंबर, 1991 गुजरात सरकार द्वारा उक्त संकल्प के परिशिष्ट-ख में निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले मनोरंजनों पर पात्र अवधि के दौरान या प्रोत्साहन की सीमाओं की समाप्ति की अवधि तक, जो भी पहले हो, उक्त संकल्प के पैरा 8.1 में उल्लिखित सीमा तक, जो भी पहले हो, कर से पूरी तरह छूट प्रदान करती है। निम्नलिखित शर्तों के अधीन:-.....

“15. किसी पात्र मनोरंजन के मालिक को बिक्री कर, टर्नओवर कर, बिजली शुल्क, विलासिता कर और मनोरंजन कर के लिए प्राप्त छूट की मात्रा उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट राशि के बराबर या इसमें उल्लिखित समय सीमा की समाप्ति पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। उक्त प्रमाण पत्र, जो भी पहले हो।”

6. न तो पैकेज और न ही योजना ने यह गणना करने के लिए तंत्र का संकेत दिया कि छूट सीमा (100% पूंजी निवेश) कैसे गणना योग्य थी। संबंधित समय पर कर की दर प्रवेश या टिकट मूल्य का 50% थी।

7. अपीलकर्ताओं का तर्क था कि कुल छूट की गणना एक काल्पनिक अभ्यास के आधार पर की जानी चाहिए। इस तरह के निर्धारण को रिट याचिका में दलीलों में निम्नानुसार समझाया गया था:

“नई इकाइयों के मामले में जिन्होंने पात्र पूंजी निवेश के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि का निवेश किया है। पात्र पूंजी निवेश की इस राशि को वर्तमान योजना/नीति के अंतर्गत उपलब्ध कर छूट की राशि के साथ समायोजित किया जाना अपेक्षित है। यदि यह इकाई मल्टीप्लेक्स थिएटर में प्रवेश शुल्क के रूप में 100 रुपये की राशि ले रही है; और मनोरंजन कर की राशि जो सरकार को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, 50/- रुपये है। इसका मतलब यह होगा कि इकाई का मालिक 50 रुपये रखने का हकदार है ताकि वह इकाई में सुविधाएं प्रदान करने के लिए उसके द्वारा किए गए खर्च को वहन करने में सक्षम हो सके। मनोरंजन कर के रूप में वसूल की गई 50 रुपये की राशि को पात्र

पूँजी निवेश की राशि के साथ अनुमानित रूप से समायोजित किया जाना आवश्यक है जब तक कि 10 करोड़ रुपये की राशि समाप्त नहीं हो जाती है या दस साल की अवधि की समाप्ति तक, जो भी पहले हो।”

8. उच्च न्यायालय के समक्ष इसी तर्क का आग्रह किया गया था जिसने निम्नानुसार दर्ज किया था:

“57. श्री नानावती ने आगे तर्क दिया कि गुण-दोष के आधार पर भी, लागू किए गए परिपत्रों को रद्द किया जाना चाहिए और रद्द कर दिया जाना चाहिए। फॉर्म 17, जो पूरक टिकट नहीं होने वाले टिकटों के रजिस्टर का रूप है, जब अधिनियम की धारा 3 के तहत कर देय होता है, कॉलम 2 के तहत मनोरंजन कर सहित टिकट की कीमत का स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है, जो यह भी दर्शाता है कि मनोरंजन कर सकल रसीद पर देय है और कर की अनुमानित गणना का कोई सवाल ही नहीं है। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन के कुछ सदस्यों द्वारा प्रस्तुत रिटर्न से पता चलता है कि वे कर सहित टिकट की कीमत दिखा रहे हैं और रसीद पर कर की गणना करके लागू दर के आधार पर छूट की मांग कर रहे हैं। शुरुआत से, एसोसिएशन के सदस्य की गई रसीद पर गणना किए गए कर के आधार पर मासिक रिटर्न दाखिल कर रहे हैं और प्रतिवादी अधिकारी बिना किसी आपत्ति के इसे स्वीकार कर रहे हैं। मैसर्स लनॉक्स मल्टीप्लेक्स के मामले में, ममलतदार, वडोदरा ने कुल रसीद पर कर की गणना करके एक मूल्यांकन आदेश पारित किया है अर्थात् उदाहरण के लिए 19.09.2003 और 25.9.2003 के बीच की अवधि के लिए, सकल संग्रह 10,30,746/- रुपये है। ममलतदार ने 50% की दर से देय निवल कर के रूप में 5,15,373/- रुपए का आकलन किया है। मैसर्स लोनोंक्स एंटरटेनमेंट लिमिटेड, वडोदरा को 554.45 लाख रुपये की राशि के लिए तदर्थ पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया था। 554.45 लाख रुपये की सीमा तक कर की राशि की गणना करने के उद्देश्य से, ममलतदार ने सकल संग्रह का 100% यानी 4,32,268/- रुपये के सकल संग्रह पर विचार किया है, ममलतदार ने 4,32,268/- रुपये पर कर का आकलन किया है।”

रिट याचिका में दावा अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार था:

“(ख) माननीय न्यायालय परमादेश या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करने की कृपा कर सकता है जिसमें प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता

एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा प्रतिवादी राज्य को अनुमानित रूप से देय मनोरंजन कर की राशि को ही प्रतिवादी राज्य के सदस्यों के पात्र पूंजी निवेश को स्थापित करने के उद्देश्य से पूंजीगत मूल्य के रूप में विचार करें। याचिकाकर्ता एसोसिएशन, जैसा कि इस योजना के तहत अनुबंध-ए में दिए गए संकल्प में निहित है।”

9. दूसरी ओर, राज्य का तर्क यह था कि चूंकि अपीलकर्ता को कर छूट का लाभ था, इसलिए कर के तत्व को एकत्र की गई वास्तविक राशि में जोड़ा जाना था। राज्य द्वारा अपने जवाबी हलफनामे में निम्नलिखित शब्दों में इसका आग्रह करने की मांग की गई थी:

“5.5 उपरोक्त के मद्देनजर, यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 3 में कर की दर की परिकल्पना की गई है जो मनोरंजन में प्रवेश के लिए भुगतान पर लगाया जाना है। एक लाख से अधिक आबादी वाले शहर के लिए 50% और एक लाख से कम आबादी वाले शहर के लिए 45% टैक्स स्लैब है। यह कहा गया है कि सभी मनोरंजन इकाइयां केवल मनोरंजन में प्रवेश के लिए भुगतान के लिए 100 रुपये का शुल्क ले रही हैं।

उदाहरण के लिए:

मनोरंजन में प्रवेश का भुगतान = 200/-

रुपये कर का 50% कम (धारा 3(i) के अनुसार) = - 100/-

कुल प्रभार्य राशि = रु.100/-

इसलिए, यदि मनोरंजन में प्रवेश के लिए भुगतान कर का 50% से कम है, तो शुद्ध प्रभारयोग्य राशि 100/- रुपये हो जाती है (जो, वर्तमान मामले में, पर्यटन नीति 1995-2000 और अधिसूचना अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर एकत्र नहीं की जाती है)।

“5.10 यह सम्मानपूर्वक कहा जाता है कि यदि कोई मनोरंजन इकाई नीति और अधिसूचनाओं का कोई लाभ उठाने की इच्छुक है तो उस स्थिति में, मनोरंजन इकाइयों को उक्त नीति और अधिसूचनाओं में प्रदान की गई आवश्यकताओं के अनुरूप होना होगा। मनोरंजन इकाइयों को अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों का कड़ाई से पालन करना होगा और एक बार कर छूट का लाभ उठाने के उद्देश्य से उक्त अधिसूचना के नियमों और शर्तों को स्वीकार करने के बाद, वे अब इस आड़ में पीछे नहीं हट सकते हैं कि मनोरंजन इकाइयां मनोरंजन कर के लिए जो वसूल रही हैं, उसे राज्य सरकार द्वारा वसूल नहीं

किया जा सकता है। यह सम्मानपूर्वक कहा गया है कि किसी भी शर्त का उल्लंघन या क़ानून, अधिसूचनाओं और परिपत्रों के किसी भी प्रावधान का पालन न करने के परिणामस्वरूप दी गई छूट समाप्त हो जाएगी। दोहराव की कीमत पर, मैं कहता हूँ कि यह स्पष्ट करने के लिए कि यदि प्रवेश के लिए 100/- रुपये का शुल्क लिया जाता है, तो इसे कर को छोड़कर मनोरंजन में प्रवेश के लिए भुगतान के रूप में माना जाना चाहिए। यह सम्मानपूर्वक कहा गया है कि किसी भी शर्त का उल्लंघन या क़ानून, अधिसूचनाओं और परिपत्रों के किसी भी प्रावधान का पालन न करने के परिणामस्वरूप दी गई छूट समाप्त हो जाएगी। दोहराव की कीमत पर, मैं कहता हूँ कि यह स्पष्ट करने के लिए कि यदि प्रवेश के लिए 100/- रुपये का शुल्क लिया जाता है, तो इसे कर को छोड़कर मनोरंजन में प्रवेश के लिए भुगतान के रूप में माना जाना चाहिए। जब कर की दर 50% है, तो इसे 100 रुपये की मूल शुद्ध टिकट दर में जोड़ा जाना चाहिए और यह 100 रुपये की शुद्ध टिकट दर है जिसका लाभ उठाया जाएगा और अधिसूचनाओं और सरकारी प्रस्तावों के संदर्भ में समायोजित किया जाएगा।”

10. उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की दलील से सहमति व्यक्त की और कहा कि चूंकि छूट का लाभ उठाने वाले मल्टीप्लेक्स ने वास्तव में कर के रूप में राशि एकत्र नहीं की थी, इसलिए किसी और राशि को जोड़ने का कोई सवाल नहीं था, बल्कि यह अनुमान लगाने के लिए कि क्या 100% पूंजीगत निवेश (छूट के लिए योजना में अधिकतम सीमा) प्राप्त किया गया था, प्रासंगिक अवधि के लिए वास्तविक टिकट संग्रह के आधार पर काल्पनिक निर्धारण द्वारा किया जाना था। इस संबंध में उच्च न्यायालय के निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

“योजना के खंड 8 में घोषणा की गई है कि विभिन्न करों के संबंध में “5 से 10 साल का कर अवकाश” उपलब्ध होगा, जिसमें “पूंजी निवेश के 100% तक मनोरंजन से छूट” शामिल है। उक्त खंड में प्रावधान है कि निर्धारिती अर्थात् एक मनोरंजन परिसर के मालिक को अधिनियम के तहत उसके द्वारा देय कर का भुगतान करने से छूट दी गई है, जब तक कि मालिक द्वारा किए गए पात्र पूंजी निवेश के 100% मूल्य के खिलाफ कर 100% छूट न हो। वर्तमान याचिका में जो प्रश्न उठाया गया है वह यह है कि उपलब्ध कर प्रोत्साहन यानी पात्र पूंजीगत निवेश के 100% के खिलाफ “कर” की राशि कैसे निर्धारित की जानी चाहिए। यह मुद्दा गुजरात मनोरंजन कर अधिनियम के कानूनी प्रावधान के संदर्भ में उठाया गया है। अधिनियम की धारा 3 को एक चार्जिंग सेक्शन माना जाता है। यह माना जाता है कि शुल्क के भुगतान के लिए दायित्व मालिक पर

लगाया जाता है, न कि थिएटर के आगंतुकों पर। प्रोपराइटर इयूटी की वसूली के लिए सरकार के एजेंट के रूप में कार्य नहीं करता है। मनोरंजन शुल्क एक भुगतान है जिसे मालिक को आगंतुकों को मनोरंजन में भाग लेने या जारी रखने में सक्षम बनाने के लिए एक शर्त के रूप में करने की आवश्यकता होती है।”

धारा 3, जो फैक्स वसूलती है, उपभोक्ता से प्राप्त “सकल” भुगतान पर लेवी का प्रावधान करती है, जैसा कि धारा 3 के शब्दों से स्पष्ट है और जैसा कि 1971 (1) एससीसी 471 में व्याख्या की गई है।

कर देयता के निर्धारण के लिए आकलन योग्य मूल्य प्राप्त भुगतान है, भले ही इस राशि का विभाजन कुछ भी हो, मनोरंजन में प्रवेश के लिए शुल्क लिया जाता है और उस पर देय कर होता है। मनोरंजन कर एक कर उपाय होने के नाते, और धारा 3 एक शुल्क अनुभाग होने के नाते, इसे सख्ती से लिया जाना चाहिए और इसलिए, कर का भुगतान करने की देयता को अधिनियम में प्रदान की गई राशि से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है।

जारी किए गए टिकट में मल्टीप्लेक्स सिनेमा दिखाते हैं कि दर्शकों से मनोरंजन कर के नाम पर या उनके कारण कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए, मल्टीप्लेक्स सिनेमाघरों के मामले में, धारा 3 के तहत राशि पर कर लगाया जाएगा। जारी किए गए टिकटों में, प्रवेश के भुगतान को मनोरंजन के लिए प्रवेश के रूप में दिखाया गया है, कर को • के रूप में दिखाया गया है। ओ”, सेवा शुल्क “0” के रूप में दिखाया गया है और मालिक द्वारा वसूली योग्य और देय कुल राशि 100 रुपये है, इसलिए कर देयता की गणना इस राशि पर की जानी चाहिए यानी 100 रुपये जो दर्शकों से प्राप्त प्रवेश के लिए 50% भुगतान पर होगी।

प्रोत्साहन के तहत, प्रोत्साहन सीमा के खिलाफ ऐसी कर देयता स्थापित करने के उद्देश्य से छूट की शर्त के रूप में निर्धारित कर देयता की गणना का कोई विशेष तरीका नहीं है। यह तरीका पहली बार नवंबर/दिसंबर, 2000 में लागू परिपत्रों द्वारा निर्धारित किया गया है।

इस संबंध में अंतिम निर्देश इस प्रकार हैं:

“111.उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हमारा विचार है कि प्रतिवादी-राज्य याचिकाकर्ता एसोसिएशन के सदस्यों के पात्र पूंजी निवेश को स्थापित करने के उद्देश्य से टिकट के

मूल्य की पूरी राशि को पूंजीगत मूल्य के रूप में मानने के लिए उचित नहीं है। हमारा यह भी विचार है कि अनुमति देते समय याचिकाकर्ता एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा एकत्र की गई राशि मल्टीप्लेक्स थिएटरों के दर्शकों में कर का एक तत्व भी शामिल है और इसलिए, याचिकाकर्ता एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा एकत्र किए गए कर की लागू दर को केवल योजना के तहत पात्र निवेश के खिलाफ निर्धारित किया जाना आवश्यक है। टिकट के मूल्य की पूरी राशि को पात्र पूंजी निवेश स्थापित करने के उद्देश्य से पूंजीगत मूल्य के रूप में नहीं माना जा सकता है। हमारा यह भी विचार है कि जिन सदस्यों ने दिनांक 28.06.2000 के अनुवर्ती संकल्प के तहत परिकल्पित निर्धारित समय सीमा के भीतर अर्थात् 30.11.2002 को या उससे पहले अपनी परियोजना शुरू नहीं की है, जिसके आधार पर उन मामलों को पाइपलाइन मामलों के रूप में माना गया है, वे योजना के तहत लाभ के हकदार नहीं हैं और समय के विस्तार के लिए उनके अभ्यावेदन को अस्वीकार करते हुए प्रतिवादी प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेश में कोई खामी नहीं है। हमारा यह भी विचार है कि जो सदस्य इस योजना के लाभ के हकदार हैं, वे निर्धारित समय सीमा अर्थात् 30.11.2002 के भीतर उनके द्वारा किए गए पूंजी निवेश की राशि का ही दावा करने के हकदार हैं। यदि इस समय सीमा के बाद उनके द्वारा किया गया कोई व्यय या 30-11-2002 के बाद ऐसी पात्र परियोजना में उनके द्वारा किया गया निवेश पात्र निवेश नहीं माना जा सकता है। इसलिए, प्रतिवादी अधिकारियों को इस फैसले और आदेश को प्रभावी बनाने और इस फैसले में जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक मामले का फैसला करने और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मांग उठाने का निर्देश दिया जाता है। इस तरह उठाई गई मांग का भुगतान एसोसिएशन के सदस्यों को उसके छह सप्ताह के भीतर करना होगा।”

11. गुजरात राज्य के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. के. बागड़िया ने तर्क दिया कि गुजरात मनोरंजन कर अधिनियम, 1977 की धारा 3 और 29 के संयुक्त पाठ में स्पष्ट किया गया है कि पात्र इकाइयों को कर के भुगतान से छूट दी गई थी और मालिकों को मनोरंजन में प्रवेश के लिए भुगतान के लिए केवल राशि लेने की आवश्यकता थी, जिसका अर्थ है कि वास्तव में कोई कर एकत्र नहीं किया गया था। इसलिए, यदि कोई इकाई या मल्टीप्लेक्स कर एकत्र करता है जो उसने राज्य को नहीं दिया, तो यह न केवल सार्वजनिक हित के विपरीत होगा, बल्कि अन्यायपूर्ण संवर्धन के समान होगा।

12. यह प्रस्तुत किया गया था कि लागू किए गए फैसले में यह नहीं माना गया है कि धारा 29 के तहत किसी भी मनोरंजन या मनोरंजन के वर्ग को कर के भुगतान से पूरी तरह से और आंशिक रूप से छूट दी जा सकती है और यह कि एक विशेष अवधि के लिए कर छूट दी जाती है, और मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों के मालिकों को कर एकत्र करने की अनुमति नहीं थी। कर के तत्व को शामिल करने का मतलब था कि उन्हें ऐसी राशि को बनाए रखने की अनुमति थी। इसलिए, राज्य को गणना की विधि का आग्रह करने में उचित ठहराया गया था, जिससे छूट इकाइयों को निर्धारित करने के उद्देश्य से पहले से एकत्र की गई राशि में कर तत्व जोड़ा गया था।

13. दूसरी ओर प्रतिवादी/मल्टीप्लेक्स मालिकों के वकील मनिंदर सिंह ने आग्रह किया कि छूट की सीमा निर्धारित करने के लिए किसी भी तंत्र के अभाव में यानी पूंजी निवेश के 100% के बराबर: जो कि एक उद्देश्य पूर्ण तथ्य है, - खातों की पुस्तकों और मल्टीप्लेक्स मालिकों के पास उपलब्ध दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए, एक व्यवहार्य और उचित विधि को ध्यान में रखा जाना था। इसलिए एकमात्र व्यवहार्य तरीका यह था कि यह विचार करके (केवल छूट प्रदान करने के उद्देश्य से) कि क्या किसी विशेष मल्टीप्लेक्स द्वारा 100% छूट सीमा हासिल की गई थी, पूरी अवधि के दौरान कुल वास्तविक संग्रह के संबंध में प्रासंगिक अवधि के दौरान एकत्र की गई राशि निर्धारित करना था।

विश्लेषण और निष्कर्ष

14. यह योजना की शर्तों और इसे लागू करने वाली छूट अधिसूचना से स्पष्ट है, जो सीमाओं के लिए निर्धारित की गई है अर्थात् (1) एक समय सीमा और (2) छूट का परिमाणीकरण। उत्तरार्द्ध पहले के अधीन हो सकता है यानी, यदि छूट सीमा तक पहुंच गई राशि प्राप्त की गई थी, तो विचाराधीन अवधि (5-10 वर्ष) की समाप्ति से पहले, आगे छूट का दावा नहीं किया जा सकता था। हालांकि, राज्य ने यह निर्धारित करने के लिए कोई तंत्र प्रदान करने से इनकार कर दिया कि मात्रात्मक सीमा की अनुमानित गणना के उद्देश्य से छूट सीमा कैसे तय की जा सकती है। इसका मतलब था कि गणना की एक उचित व्यावहारिक विधि लागू की जानी थी।

15. राज्य का तर्क इस धारणा पर आधारित है कि मल्टीप्लेक्स मालिकों द्वारा छूट अवधि के दौरान एकत्र की गई राशि को भी कर के तत्व में शामिल किया गया है। इस अदालत की राय में यह धारणा त्रुटिपूर्ण है क्योंकि ऐसा कोई संग्रह नहीं हो सकता था जो कर के बराबर

हो। इसके अलावा, मल्टीप्लेक्स/थिएटर-मालिकों को अधिनियमन के संदर्भ में मासिक रिटर्न दाखिल करने के लिए बाध्य किया गया था। इससे दुरु्यवहार के किसी भी आरोप का ध्यान रखा जा सकता था। राज्य का अतिरिक्त तर्क यह था कि चूंकि छूट की अवधि के दौरान मल्टीप्लेक्स द्वारा संग्रह में कर के तत्व को अनुमानित रूप से शामिल किया गया था, इसलिए कर संग्रह योग्य के बराबर एक और राशि जोड़नी पड़ी।

16. जैसा कि उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला - और इस न्यायालय की राय में सही है, यह तर्क किसी भी तर्क से रहित था और स्पष्ट रूप से अनुचित था। यह स्वीकार किया गया है कि कर छूट की सीमाओं को समझने के तरीके में अंतर है। निस्संदेह, कानून अब तय हो गया है कि छूट अधिसूचनाओं की कड़ाई से व्याख्या की जानी चाहिए, और अस्पष्टता के मामले में करदाताओं के खिलाफ। यह नियम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, नई दिल्ली बनाम हरि चंद श्री गोपालⁱⁱⁱ में कहा गया था। संविधान पीठ ने उस मामले में कहा कि:

“कानून अच्छी तरह से स्थापित है कि एक व्यक्ति जो छूट या रियायत का दावा करता है, उसे यह स्थापित करना होगा कि वह उस छूट या रियायत का हकदार है। छूट, रियायत या अपवाद प्रदान करने वाले प्रावधान, जैसा भी मामला हो, को कतिपय अपवादों के साथ कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए, जो इस बात पर निर्भर करता है कि किस आधार पर प्रावधान को संविधि में रखा गया है और जिस उद्देश्य और उद्देश्य को प्राप्त किया जाना है। यदि कुछ शर्तों का पालन करने पर छूट उपलब्ध है, तो शर्तों का अनुपालन करना होगा। उन शर्तों की अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन किया जाना चाहिए या उन्हें पूरा किया जाना चाहिए, कभी-कभी, कुछ अक्षांश दिखाया जा सकता है, अगर कुछ आवश्यकताओं का पालन करने में विफलता होती है जो प्रकृति में निर्देशिका हैं, जिनका गैर-अनुपालन छूट देने वाली अधिसूचना के सार या सार को प्रभावित नहीं करेगा।”

17. इसके बाद बाद पांच जजों की पीठ के एक अन्य फैसले (सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), मुंबई बनाम दिलीप कुमार एंड कंपनी और अन्य^{iv}) में इसका पालन किया गया। वर्तमान मामले में, स्थिति अजीब है, क्योंकि छूट प्रदान करना, और ऐसी राहत की शर्तें (समय और मौद्रिक सीमाओं के संदर्भ में) स्पष्ट हैं। हालांकि, मौद्रिक सीमा की गणना के लिए प्रक्रिया बिल्कुल निर्धारित नहीं है। इसलिए, वर्तमान मामला अस्पष्टता का नहीं है, बल्कि इसके बजाय, एक स्पष्ट अंतर है, जिसे यदि उचित रूप से नहीं माना जाता है, तो अधिसूचना के इरादे को विफल कर देगा।

18. प्रक्रियाओं के नियमों के संदर्भ में अक्सर यह माना जाता रहा है कि वे न्याय को सुविधाजनक बनाने के लिए हैं, न कि न्याय को प्रतिस्थापित करने के लिए. संग्राम सिंह बनाम चुनाव न्यायाधिकरण, कोटा और अन्य^v में इस अदालत ने कहा:

“16. ... यह एक प्रक्रिया है, जिसे न्याय की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसके अंत को आगे बढ़ाया गया है: सजा और दंड के लिए दंड अधिनियमन नहीं; यह एक ऐसी चीज नहीं है जो लोगों को ऊपर ले जाने के लिए डिज़ाइन की गई हो। इसलिए ऐसी धाराओं का निर्माण जो व्याख्या की उचित लोच के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है, उसके खिलाफ सुरक्षा की जानी चाहिए (बशर्ते कि हमेशा दोनों पक्षों के साथ न्याय किया जाए) ताकि न्याय को आगे बढ़ाने के लिए तैयार किए गए साधनों का उपयोग इसे निराश करने के लिए किया जाए।”

19. घनश्याम दास बनाम डोमिनियन ऑफ इंडिया^{vi} में अदालत ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 से निपटने में “विशेषण कानून” के विचार और इरादे पर विस्तार से बताया:

“12. अंतिम विश्लेषण में, यह सवाल कि संहिता की धारा 80 के तहत एक नोटिस वैध है या नहीं, न्यायिक निर्माण का सवाल है। प्रिवी काउंसिल और इस न्यायालय ने मुकदमा लाने वाले व्यक्ति के साथ नोटिस जारी करने वाले व्यक्ति की पहचान के सवाल से निपटने में सख्त अनुपालन का नियम लागू किया है। तथापि, इस न्यायालय ने इस आवश्यकता से निपटने के लिए पर्याप्त अनुपालन के नियम को अपनाया है कि कार्रवाई के कारण और नोटिस के साथ-साथ वाद में दावा की गई राहत के बीच पहचान होनी चाहिए। जैसा कि पहले ही कहा गया है, न्यायालय ने माना है कि इस धारा के तहत नोटिस को पर्याप्त माना जाना चाहिए यदि यह दायर किए जाने वाले मुकदमे की प्रकृति के बारे में संबंधित पक्षों को सूचित करने के अपने उद्देश्य को काफी हद तक पूरा करता है। इस सिद्धांत पर, यह माना गया है कि यद्यपि धारा की शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना है, इसका मतलब यह नहीं है कि नोटिस की जांच सामान्य ज्ञान से अलग तरीके से की जानी चाहिए। विचारणीय मुद्दा यह है कि क्या नोटिस दावे की प्रकृति के बारे में पर्याप्त जानकारी देता है जैसे कि प्राप्तकर्ता मुकदमेबाजी को टाल देगा।”

20. सुगंधी बनाम पी. राजकुमार^{vii} भी पर्याप्त न्याय के पक्ष में झुक गया जब उसे प्रक्रियात्मक कानून के उल्लंघन की शिकायत से निपटना पड़ा।

21. हरिचंद श्रीगोपाल (सुप्रा) ने छूट अधिसूचना की व्याख्या करते हुए प्रावधानों के साथ पर्याप्त अनुपालन के सिद्धांत को भी प्रतिपादित किया:

“31. बेशक, छूट अधिसूचना के कुछ प्रावधान प्रकृति में निर्देशिका हो सकते हैं और कुछ प्रकृति में अनिवार्य हैं। एक संविधि के उन उपबंधों के बीच अंतर करना जो वास्तविक प्रकृति के हैं और एक ओर नीति के कतिपय विशिष्ट उद्देश्यों के साथ बनाए गए हैं और दूसरी ओर जो प्रकृति में केवल प्रक्रियात्मक और तकनीकी हैं, को स्पष्ट रूप से अलग रखा जाना चाहिए.....”

पर्याप्त अनुपालन और “इच्छित उपयोग का सिद्धांत”

32. पर्याप्त अनुपालन का सिद्धांत एक न्यायिक आविष्कार है, जो प्रकृति में न्यायसंगत है, जो उन मामलों में कठिनाई से बचने के लिए डिज़ाइन किया गया है जहां एक पार्टी वह सब करती है जो उससे यथोचित रूप से उम्मीद की जा सकती है, लेकिन कुछ मामूली या असंगत पहलुओं में विफल या गलत है जिन्हें आवश्यकताओं के “सार” या “सार” के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। “तर्कसंगतता” की अवधारणा की तरह, “पर्याप्त अनुपालन” की दलील की स्वीकृति या अन्यथा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य और उद्देश्य और उन पूर्वापेक्षाओं के संदर्भ पर निर्भर करती है जो नियम या विनियमन के उद्देश्य और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। इस तरह के बचाव को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है यदि एक स्पष्ट वैधानिक शर्त जो उद्देश्य और कानून के उद्देश्य को प्रभावित करती है, को पूरा नहीं किया गया है। निश्चित रूप से, इसका मतलब यह है कि न्यायालय को यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या कानून का पर्याप्त रूप से पालन किया गया है ताकि उस इरादे को पूरा किया जा सके जिसके लिए कानून लागू किया गया था, न कि सख्त अनुपालन का दर्पण छवि प्रकार। पर्याप्त अनुपालन का अर्थ है “कानून के हर उचित उद्देश्य के लिए आवश्यक पदार्थ के संबंध में वास्तविक अनुपालन” और न्यायालय को यह निर्धारित करना चाहिए कि कानून के इरादे को पूरा करने और उचित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कानून का पर्याप्त रूप से पालन किया गया है या नहीं।”

33. एक राजकोषीय क़ानून आम तौर पर नियामक आवश्यकताओं के साथ सख्ती से अनुपालन करने की आवश्यकता को संरक्षित करने का प्रयास करता है जो महत्वपूर्ण हैं, खासकर जब कोई पार्टी एक छूट खंड के ला की तलाश करती है जो महत्वपूर्ण हैं। एक अधिनियमन के साथ पर्याप्त अनुपालन पर जोर दिया जाता है, जहां अनिवार्य और निर्देशिका आवश्यकताओं को एक साथ लाया जाता है, क्योंकि ऐसे मामले में, यदि अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाता है, तो यह कहना उचित होगा कि निर्देशिका आवश्यकताओं के गैर-अनुपालन के बावजूद अधिनियमन का काफी हद तक अनुपालन किया गया है। ऐसे मामलों में जहां पर्याप्त अनुपालन पाया गया है, क़ानून का वास्तविक अनुपालन हुआ है, हालांकि प्रक्रियात्मक रूप से दोषपूर्ण है। पर्याप्त अनुपालन का सिद्धांत उन शर्तों या आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता को संरक्षित करने का प्रयास करता है जो कर या शुल्क छूट को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण हैं और महत्वहीन और स्पर्शरेखीय आवश्यकताओं या आवश्यकताओं के लिए गैर-अनुपालन को माफ करना चाहते हैं जो इतने भ्रामक या गलत तरीके से लिखे गए हैं कि अनुपालन के लिए एक गंभीर प्रयास स्वीकार किया जाना चाहिए।

34. पर्याप्त अनुपालन सिद्धांत की प्रयोज्यता का निर्धारण करने के लिए परीक्षण असंख्य मामलों का विषय रहा है और अक्सर, जांच किए जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या आवश्यकताएं क़ानून के “सार” या “सार” से संबंधित हैं, यदि हां, तो उन आवश्यकताओं का सख्ती से पालन उस सिद्धांत को प्रभावी बनाने के लिए एक पूर्व शर्त है। दूसरी ओर, यदि आवश्यकताएं प्रक्रियात्मक या निर्देशिका हैं कि वे किए जाने वाले काम के “सार” के नहीं हैं, लेकिन व्यवसाय के व्यवस्थित संचालन की दृष्टि से दिए गए हैं, तो उन्हें पर्याप्त रूप से पूरा किया जा सकता है, यदि सख्त अनुपालन नहीं है। दूसरे शब्दों में, केवल एक प्रयास अनुपालन पर्याप्त नहीं हो सकता है, लेकिन उन कारकों के साथ वास्तविक अनुपालन जिन्हें आवश्यक माना जाता है।”

22. कर छूट के लाभ की गणना करने का एक उचित तरीका, विचार करने के उद्देश्य से (क्या पूंजीगत व्यय के बराबर 100% सीमा तक पहुंच गया था या नहीं) प्रासंगिक अवधि के दौरान देय कर राशि यों को अनुमानित रूप से निर्धारित करना है, जब मल्टीप्लेक्स को कर छूट प्राप्त थी। यह संभव है, उस समय के दौरान उनके द्वारा दाखिल किए गए रिटर्न को ध्यान में रखते हुए जब उन्होंने छूट मांगी थी और उन्हें छूट दी गई थी। बाहरी सीमा (100% निवेश) एक प्रत्यक्ष राशि है, जिसे इकाइयां अपने बही-खातों में उचित प्रमाण के साथ प्रस्तुत

करने में सक्षम होंगी, और उनके द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन। स्पष्ट रूप से इस सिद्धांत को स्वीकार करते हुए और इस मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, उच्च न्यायालय ने एक उचित विधि का पालन किया है, जिसे इस अदालत की राय में गलत नहीं ठहराया जा सकता है।”

23. उपरोक्त कारणों से, यह न्यायालय मानता है कि इस अपील में कोई विधिक बल नहीं है। तदनुसार इसे खारिज किया जाता है। खर्च के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

दिव्या पांडेय

अपील खारिज

Shashi Kumar

Munsif, Patna city

ⁱ dated 26.06.2009 delivered by the Gujarat High Court in Special Civil Application No.5391 of 2004

ⁱⁱ (2015) 9 SCC 132

ⁱⁱⁱ 2011 (1) SCC 236

^{iv} 2018 (9) SCC 1

^v (1955) 2 SCR 1

^{vi} (1984) 3 SCC 46

^{vii} (2020) 10 SCC 706